

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल:-पंचायत मुख्यालय चाड़ो की ढाणी

प्रकरण सं.:-42/18


क्रमांक:-वाद/2018/1085

दिनांक:-29.5.18

निर्णय

वादी के वादपत्र एवं पटवारी दांखा व भूअ.नि.भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम ढण्ड तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 36 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | ढण्ड | 36 | 19,20,22,23 | मिसराराम, तगाराम पिसरान जेठाराम | मिसराराम, तगाराम पिसरान जूठाराम <u>शेष बदुस्तर</u> |


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-29.5.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1086-1088

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मिसराराम पुत्र जूठाराम वगैरा जाति कुम्हार निवासी ढण्ड तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी